प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या –353 / 2023

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र जसरथ जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

—— वादी

बनाम्

1. जसरथ पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. ज्योति पुत्री जसरथ जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. तारावती पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 353 सन 2023 निर्णय दिनांक 24.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 54 / 54 की कुल 0.8220 है0 भूमि में से 379 / 8220 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 51 / 51 की कुल 0.8740 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि में मृतक देवीलाल पुत्र बिरबलराम का नाम कलमजन किया जाकर दोनो खातो की भूमि में वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 63 / 60 की कुल 2.7200 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 28 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 114 / 114 की कुल 2.5300 है0 भूमि में से 1 / 10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दशरथ की जगह दुरूस्त कर जसरथ दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:28 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर, नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–प

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –353/2023

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र जसरथ जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. जसरथ पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. ज्योति पुत्री जसरथ जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. तारावती पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः **24.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 54/54 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8220 है0 भूमि में से 379/8220 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 51/51 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 0.8740 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मृतक देवीलाल पुत्र बिरबलराम के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 63/60 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.7200 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 28 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 114/114 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

रोही मौजा 1 बीकेके के खाता स0 51/510.8740 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवीलाल पुत्र बिरबलराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। देवीलाल पुत्र बिरबलराम का देहान्त हो चुका है देवीलाल पुत्र बिरबलराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 है। उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 जो कि वादी बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई व भतीजे के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 को उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 54/54 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8220 है0 भूमि में से 379/8220 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 51/51 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 0.8740 है0 भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

से 1/3 हिस्सा भूमि में वादी काबिज है तथा रोही मौजा 30 एनटीआर के खाता संख्या 63/60 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.7200 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 28 एनटीआर के खाता संख्या 114/114 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा 28 एनटीआर खाता स0 114 प्रदर्श–1, रोही मौजा 30 एनटीआर खाता स0 63 प्रदर्श–2, रोही मौजा 1 पीकेके जमाबंदी सम्वत 2075–78 खाता स0 51 व 54 प्रदर्श 3 से 4, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक देवीलाल प्रदर्श–5, वार्ड पंच ग्राम पंचायत रामसरा द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–6 आदि प्रदशिर्त करवायें।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है वादी के पिता देवीलाल पुत्र बीरबलराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 है प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वादी के हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 54/54 की कुल 0.8220 है0 भूमि में से 379/8220 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 51/51 की कुल 0.8740 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मृतक देवीलाल पुत्र बिरबलराम के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 63/60 की कुल 2.7200 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 28 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 114/114 की कुल 2.5300 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:28 IST
Reason: SelfAttested

भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसानामा एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा देवीलाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 54/54 की कुल 0.8220 है0 भूमि में से 379/8220 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 51/51 की कुल 0.8740 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक देवीलाल पुत्र बिरबलराम का नाम कलमजन किया जाकर दोनो खातो की भूमि में वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 63/60 की कुल 2.7200 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 28 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 114/114 की कुल 2.5300 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दशरथ की जगह दुरूस्त कर जसरथ दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 24/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:28 IST
Reason: SelfAttested